राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंन्द्रीय बिन्दु

*डॉ. प्रकाश चन्द्र खुल्वे

सारांश

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत 1986 में की गयी थी। इसके 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति– नेशनल एजकेशन पॉलिसी (एनईपी)–2020 घोषित की गयी जिसे मौजूदा समय में लागू किया जा रहा है। इसमें एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की गयी है जिसमें हर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा न्यायसंगत ढंग से मिल सके। एनईपी–2020 संयुक्त राष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्य–4 के अनुरूप है। इस लक्ष्य में सबके लिये समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन ज्ञानार्जन के अवसरों को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के इस मूल सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के साक्षर बना देने और उन्हें अंक ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए या फिर विद्यार्थियों में विवेचनात्मक सोच और समस्या का समाधान खोजने तक ही सीमित न रहे बल्कि शिक्षा से सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास भी हो, इन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है और इनमें सांस्कृतिक चेतना और अनुभूति, दृढ़ निश्चय और विश्वास, टीम भावना, नेतृत्व और संचार जैसे गुणों का विकास भी शामिल है।

मूलशब्दः बहु–विषयक शिक्षा, सॉफ्ट स्किल्स, शिक्षा में लचीलापन, भारतीय कला, कौशल, मातृभाषा ।

प्रस्तावना

अनादि काल से प्रत्येक राष्ट्र शिक्षा के माध्यम विवेक सम्मत राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहा है। आधुनिक काल में ज्ञान कौशल के बदलते परिवेश में संपूर्ण विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है एवं शिक्षा क्षेत्र इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है। यही कारण है कि देशकाल पर परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की बदलती आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं को निरूपित करने के लिए शिक्षा नीतियों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से परिवर्तन किए जाते हैं। देश की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मानवीय गुणों से युक्त लोगों का विकास करना जोकि व्यक्तिगत के साथ राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बन सके तथा तर्कसंगत विचारों के साथ दया करुणा सहानुभूति वैज्ञानिक चिंतन का विकास करें। इसी प्रकार की उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति घोषणा की गई। समग्र और बहुविषयी शिक्षा शिक्षा को एक नए दिशा में ले जाने का प्रयास है, जिसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बीच संबंध बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा परियोजनाओं और नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी के साथ सुधारी जा रही है, जो छात्रों के लिए बेहतर सीखने के अनुभव को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही, इस नई दिशा में शिक्षा के तरीके भी प्राधिकृत हो रहे हैं, जिससे छात्रों को "सीखने की कौशल" को विकसित करने में मदद मिल सकती है और रटने के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराकर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति और पुनः विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो।

NEP 2020 के केंद्रीय बिंदु :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिचय के अलावा चार भागों में क्रमशः स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य केंद्रीय विचारणीय बिंदु एवं क्रियान्वयन की रणनीति मैं विभाजित किया गया है। संपूर्ण शिक्षा नीति को कुल 308 बिंदु के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं को मुख्यतः 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है –

विद्यालय शिक्षा–

निश्चित ही इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे उत्पादक नागरिकों से तैयार करना जो भारतीय संविधान द्वारा संकल्प न्याय संगत समावेशी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें आता है। नीति पिछले 34 वर्षों से प्रचलित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा विहित शिक्षा प्रणाली के 10+2+3 के स्वरूप को पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे के अनुरूप 5+3+3+4 करने का प्रावधान दिया गया है। इसके तहत क्रमशः फाउंडेशन स्टेज (दो भागों में अर्थात आंगनवाड़ी / प्रीस्कूल के 3 साल+ प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1–2 में 2 साल, 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित), भाषा व गणित का गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3–5 से 8–11 वर्ष के बच्चों सहित) विज्ञान गणित कला, और मिडिल स्कूल स्टेज 11– 14 वर्ष के बच्चों सहित कौशल विकास कोर्स तथा सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9–12 वाले छात्रों को विषय चयन की स्वतंत्रता की नीति रखी गई है। इस प्रकार विद्यालय शिक्षा को चार भागों में बांटा गया है।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के पांचवी कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है एवं त्रिभाषा सूत्र को जारी रखने के सुझाव दिए गए हैं।
2. रटने की शिक्षा की पद्धति को समाप्त करके अवधारणा को समझ हेतु खेल खेल में शिक्षा के साथ छात्रों में रचनात्मकता मौलिकता एवं जीवन कौशलों का विकास करना है।
3. संगीत, खेल, योग को अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम के साथ रखा जाए।
4. प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति पहचान और निरंतर विकास हेतु प्रयास करना तथा सतत मूल्यांकन के साथ तकनीकी के उपयोग पर ध्यान देना।
5. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
6. इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

उच्च शिक्षा–

21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का रचना पूर्ण विकास करने हेतु प्रचलित उच्च शिक्षा की कमियों का आकलन करते हुए नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके गुणवत्तापूर्ण समान अवसर प्रदान करने वाली समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बात करती है–

1. उच्च शिक्षा में विनियमन, वित्त पोषण और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे विशिष्ट कार्य विशिष्ट स्वतंत्र और सशक्त संस्था द्वारा संचालित किए जाएंगे और इस हेतु एक मुख्य संस्था भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग

(HECI) के तहत 4 स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (NHERC), राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC), उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) एवं सामान्य शिक्षा परिषद।

2. स्नातक की डिग्री 3 वर्ष और 4 वर्ष की होगी इसमें पहले वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में डिप्लोमा, तीसरे और चौथे वर्ष में उपाधि दी जाएगी। 3 वर्ष की उपाधि उनको दी जाएगी जो आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हो. चौथे वर्ष की उपाधि लेने पर 1 वर्ष में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हो सकेगी।

3. जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वे संगीत कला आदि विषयों को साथ में अध्ययन कर सकते हैं।

4. छात्र किसी एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकता है तथा विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी एक कला वर्ग के विषय का अध्ययन कर सकता है और वैसे ही कला वर्ग का विद्यार्थी एक विषय के रूप में विज्ञान विषय तो पढ़ सकता है।

5. 2035 तक उच्च शिक्षा सहित व्यवहारिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत निर्धारित करना है।

6. शोध एवं शिक्षक नवाचारों से युक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

7. पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा।

8. चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा–

वर्तमान में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षकों की भर्ती, पदस्थापन सेवा, संस्था अधिकारों की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं और हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षकों के लिए उतर जा उनके प्रति आदर सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षा व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु प्रेरित किया जा सके।

1. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पाठ्य सामग्री का शिक्षण शास्त्र दोनों तरीकों से बेहतर परीक्षण सामग्री को सम्मिलित करके मजबूत किया जाएगा। शिक्षण के प्रति जोश व उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या शिक्षण प्रशिक्षण को भी शिक्षक भर्ती का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा।

2. शिक्षक शिक्षा चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2030 तक बहु विषयक कॉलेजों तथा महाविद्यालयों में ही संचालित किया जाएगा। उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में B-Ed, M-Ed तथा पीएचडी की डिग्री प्रदान करेंगे।

3. वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B-Ed डिग्री होगी, परंतु विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त व्यक्तियों के लिए 2 वर्षीय तथा 4 वर्षीय बहु विषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परास्नातक डिग्री वालों के लिए 1 वर्षीय बीएड भी चलाया जा सकता है।

4. एन. सी. टी. ई. के द्वारा व्यापक परामर्श व चर्चा के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप एक नवीन अध्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु एन.सी.एफ.टी.ई तैयार की जाएगी, जिसे प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

5. गैर शैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षकों का समय व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं है को करने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य तथा मध्यान भोजन कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय के लिए शामिल नहीं किया जाएगा जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य पर ध्यान दे सकें।

निष्कर्ष–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 के निर्माण के पीछे निहित विभिन्न मूलभूत सिद्धांतों व दृष्टिकोण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण में एक व्यापक दृष्टिकोण, वर्तमान स्थिति तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत की समृद्धि, ज्ञान और विरासत को वैश्विक पटल पर स्वीकृति कराने हेतु सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके संपूर्ण भारतीय समाज का समता पूर्वक विकास करने की भावना से है। यह नीति अपने प्रारूप और आशय दोनों के ही आधार पर वैश्विक भी है और स्थानीय भी। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार करके उनकी शिक्षा आवश्यकताएं पूरी करने को प्रमुखता दी गई है ताकि भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता के रूप में उभर कर सामने आए।

निसंदेह यह नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए भावी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी और राष्ट्र को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष लेकर जाएगी।

***निदेशक**
बीएसएन ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशंस
जयपुर (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. https://nep2020.hinsoli.com/2020/08/2020_96.html
2. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
3. योजना पत्रिका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, फरवरी 2022, वर्ष– 66, अंक–02, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
4. Nandini, ed. 29 July 2020, "New Education Policy-2020 Highlights: School and Higher Education to see Major Challenges". Hindustan Times.
5. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1847066
6. https://hindi.news18.com/news/career/4-years-ug-course-to-implement-new-education-policy-2020-in-college-university-level-ba-bsc-bcom-courses-after-12th-5632493.html